

सहारा उत्कर्ष - जीवन बीमा

UIN-127L022V01

(एक यूनिट-लिंकड योजना)

इस पालिसी में निवेश जोखिम बीमाधारक द्वारा बहन किया जाता है।

(विश्व के विशालतम् परिवार में स्वागत है)

सहारा इण्डिया परिवार की सफलता का इतिहास 1978 से प्रारम्भ हुआ। साथारण पूँजी से शुरूआत करके कंपनी ने आज भारत में विशाल सामाजिक फैला रखा है। आज परिवार एक बहु अधारी व्यवसायिक संस्था बन कर वित्तीय सेवाएँ इन्स्योरेंस, वृद्धि, बीमा और अंतर्गत सेवाएँ इन्स्योरेंस, सीडिंग, सूचना प्राइवेटिंग, अस्पताल, कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स, निमाण एवं सर्विसेज व ट्रेडिंग आदि में कार्यरत है।

कंपनी-

सहारा इण्डिया परिवार जीवन बीमा क्षेत्र में 30 अक्टूबर, 2004 से कार्यरत है तथा 'सहारा इण्डिया लाइफ इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड' निजी क्षेत्र में प्रभाग पूर्णतः भारतीय जीवन बीमा कंपनी है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में सामाजिक समीक्षा विशेषता, ग्रामीणी, शोषित एवं अधिक लोप से कमज़ोर, जिन्हें जीवन बीमा द्वारा सुखाका की नितांत आवश्यकता है, उनको बीमा द्वारा सुखा प्रदान करना है।

योजना-

देश में आधिक बाजार इस समय अत्यन्त उत्साहित स्थिति में है तथा भारतीय अर्थ व्यवस्था में आगामी कुछ वर्षों में तीव्र गति से वृद्धि होने की सम्भावना है। हम चाहते हैं कि बीमार्थी इस उत्साहित स्थिति के अंग बने तथा पूँजी बाजार से वे प्रत्येक रूप से लाभान्वित हों।

यूनिट लिंकड बीमा योजना इवेटी (शेयर मार्केट) से सम्बद्ध होने के कारण अद्वितीय एवं व्यक्ति को सुखा प्रदान करने वाली है। यूनिट सम्बद्धित योजना भविष्य में बचत के मूल्य में वृद्धि करती है, ग्राहकों को निवेश योजना में कोई विकल्प जोखिम वृत्ति-नुसार तथा निवेश के भिन्न-भिन्न विदुओं पर पालिसी अवधि अन्तराल में बदलना का अवसर प्रदान करती है।

योजना-विवरण-

प्रेशे के समय न्यूनतम आयु	12 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
प्रेशे के समय अधिकतम आयु	55 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
पॉलिसी अवधि	08-20 वर्ष
प्रीमियम भुगतान अवधि	पालिसी अवधि अनुरूप (एकल प्रीमियम योजना छोड़कर)
अधिकतम पूर्णावधि आयु	70 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
एकल प्रीमियम	निवापित प्रीमियम

न्यूनतम प्रीमियम	एकल प्रीमियम	निवापित प्रीमियम
रु. 50,000/-	रु. 20,000 वार्षिक विधि के अंतर्गत रु. 15,000 अर्द्धवार्षिक विधि के अंतर्गत एक बार प्रीमियम भुगतान का बचन करने के बाद वह सम्पूर्ण प्रीमियम भुगतान अवधि तक अपरिवर्तनीय रहेगा।	रु. 20,000 वार्षिक विधि के अंतर्गत रु. 15,000 अर्द्धवार्षिक विधि के अंतर्गत एक बार प्रीमियम भुगतान का बचन करने के बाद वह सम्पूर्ण प्रीमियम भुगतान अवधि तक अपरिवर्तनीय रहेगा।
अधिकतम प्रीमियम	असीमित बीमांकननुसार	असीमित बीमांकननुसार
बीमाधन	प्रेशे के समय आयु बीमाधन (निकटतम जन्मतिथि)	प्रेशे के समय आयु बीमाधन (निकटतम जन्मतिथि)
45 वर्ष तक - एकल प्रीमियम का 125%	45 वर्ष तक - वार्षिकी प्रीमियम का 10 गुना	45 वर्ष तक - एकल प्रीमियम का 125%
46 वर्ष तथा अधिक - एकल प्रीमियम का 110%	46 वर्ष तथा अधिक - वार्षिकी प्रीमियम का 110%	46 वर्ष तथा अधिक - एकल प्रीमियम का 110%
7 गुना	7 गुना	7 गुना

कोष विकल्प :

इस योजना में प्रत्येक कोष में सम्पत्ति आवंटन सीमा सहित निम्नलिखित कोष विकल्प उपलब्ध है।

कोष-निवेश विकल्प	अंश (इवेटी)	ऋण (डंट)	रोकड़ (क्रेश)	जोखिम प्रवृत्ति
सुरक्षित कोष	नहीं	न्यूनतम 80%	अधिकतम 20%	कम
संतुलित कोष	अधिकतम 40%	न्यूनतम 40%	अधिकतम 20%	मध्यम
स्मार्ट कोष	न्यूनतम 40%	न्यूनतम 20%	अधिकतम 40%	अधिक
विकास कोष	न्यूनतम 80%	अधिकतम 20%	अधिकतम 20%	अधिक
प्राइमा कोष	न्यूनतम 85%	अधिकतम 15%	अधिकतम 15%	अधिक

विकल्प चुनने का निम्न आधार है :

एकल प्रीमियम	प्रारम्भ में कोई भी एक कोष
नियमित प्रीमियम	प्रारम्भ प्रीमियम - 5 कोष में से कोई भी एक कोष का बचन
	परवर्ती प्रीमियम - यूनिटों का आवंटन उस समय के विद्यमान कोष में होगा

कंपनी भी समय बीमाधारक के पास एक कोष रह सकता है।

निवेश उद्देश्य-

सुरक्षित कोष- इस कोष का उद्देश्य उच्च गुणात्मक निश्चय आय वाली प्रतिभूतियों में निवेश कर आय में वृद्धि करना है।

संतुलित कोष- इस कोष का उद्देश्य अवसरों का लाभ उठाकर ऋण तथा शेयर बाजार में जोखिम तथा लाभ वापसी में सामंजस्य रखकर निवेश करना तथा लम्बी अवधि में अधिक जोखिम समायोजित वापसी करना है।

स्मार्ट कोष- इस कोष का उद्देश्य सुअवसरों का लाभ उठाकर ऋण तथा शेयर बाजार में जोखिम तथा लाभ वापसी में संतुलन बनाकर निवेश करना तथा लम्बी अवधि में उत्तम जोखिम समायोजित वापसी करना है।

विकास कोष- इस कोष का प्राथमिक निवेश उद्देश्य शेयर एवं शेयर सम्बन्धी प्रतिभूतियों में शोध-आधार पर निवेश कर लम्बी अवधि की वृद्धि प्राप्त करना।

प्राइमा कोष- पौलिक रूप से सुदृढ़ ब्लू चिप तथा उच्च कैप कंपनियों में कुशलपूर्वक विधि इवेटी पक्ष में निवेश कर लम्बी अवधि में उत्तम जोखिम समायोजित प्राप्त करना है। इसके साथ-साथ पूँजी बाजार के अचानक उत्तर चाहावा को ध्यान में रख कर पूँजी बाजार में अल्प अवधि में निवेश करना है।

विभिन्न कोष में निवेश के लिये प्रयोग आगे बढ़ते दस्तावेज़:-

इवेटी- भारतीय शेयर बाजार में शेयर तथा इवेटी संबंधित दस्तावेज़ों में उन कंपनियों में निवेश जिनकी आधिक विधि सुदृढ़ है तथा जिन कंपनियों में निवेश करना है उनकी आधिक विधि का विश्लेषण तथा भवित्व-भावीति विधि में परिवर्तन विशेष करना है।

ऋण- ऋण दस्तावेज़ों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण, ऑफिल बाण्ड, पी.एस.यू. (सर्वजनिक क्षेत्र उपकरण) बाण्ड तथा कारपोरेट बाण्ड सम्बद्धित हैं। इसके अतिरिक्त जमा का प्रमाण पत्र, व्यापारिक प्रपत्र तथा अपरिवर्तित ऋण पत्र (डिविचर) जो अधिक गुणात्मक दर पर हो तथा निवेश दस्तावेज़ की अवधि आवश्यकतातुसार तथा अपरिवर्तित ऋण पत्र (डिविचर) जो अधिक गुणात्मक दर पर हो तथा निवेश किया जायेगा।

पृथक कूर्त विधि (Discontinuance) पालसी की क्या तिथि है ?

पालसी को पृथक विधि वह होने की दशा में क्या होता है ?

प्रथम 5 पालसी वर्ष के अंतर्गत जमा का पृथक कूर्त (Discontinuance) होना यदि अनुग्रह अवधि के अंतर्गत प्रीमियम जमा नहीं होता है तो कंपनी अनुग्रह अवधि की समाप्ति से 15 दिन के अंदर बीमाधारक को निम्न विकल्प चुनने के लिये सूचना देगी।

अ. पालसी के अंतर्गत लाभ-

ब. पूर्णवार्षि पर - पूर्णवार्षि विधि तक यदि बीमार्थी जीवित है - कोष मूल्य

मूल्य पर

यदि समस्त देश प्रीमियम का भुगतान हो चुका है तो तथा पूँजी बाजार के दस्तावेज़ प्रपत्र दर्शयि गये हैं उन्हीं में कैश (रोकड़)

पालसी को पूर्णवार्षि पर - पूर्णवार्षि विधि वर्ष में 2 परिवर्तन निःशुल्क प्रदान है। परिवर्तन शुल्क पर उपलब्ध है।

प्रथम 5 वर्ष वर्ष के अंतर्गत जमा का पृथक कूर्त विधि (Discontinuance) होना यदि अनु

सहारा उत्कर्ष

जीवन बीमा

(एक यूनिट लिंक्ड प्लान)

UIN- 127L022V01 | IRDA No.: 127



सहारा इंडिया लाइफ इश्योरेस कपनी लिमिटेड

4. मृत्युदर (जोखिम वहन) शुल्क-

जोखिम वहन प्रीमियम अथवा मृत्युदर शुल्क मासिक आधार पर बीमाधन-नुसार प्रत्येक माह के प्रारम्भ में उचित यूनिट का निरर्तीकरण करके कसूल किया जायेगा। वार्षिक मृत्युदर शुल्क प्रति हजार बीमाधन निम्नवत है।

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
12	0.64	32	1.44	52	7.73
13	0.78	33	1.50	53	8.54
14	0.86	34	1.57	54	9.41
15	0.92	35	1.66	55	10.33
16	0.99	36	1.78	56	11.32
17	1.05	37	1.91	57	12.35
18	1.10	38	2.07	58	13.23
19	1.15	39	2.24	59	14.34
20	1.20	40	2.46	60	15.69
21	1.24	41	2.70	61	17.27
22	1.28	42	2.90	62	19.09
23	1.31	43	3.12	63	21.13
24	1.34	44	3.40	64	23.42
25	1.36	45	3.73	65	25.94
26	1.38	46	4.13	66	27.27
27	1.39	47	4.58	67	30.74
28	1.40	48	5.09	68	34.59
29	1.40	49	5.66	69	38.85
30	1.40	50	6.29	70	43.55
31	1.41	51	6.98		

विकल्प में परिवर्तन शुल्क - बीमाधारक को एक कोष निवेश विकल्प से दूसरा विकल्प अपनी इच्छानुसार चयन करने की पालिसी अवधि में सुविधा उपलब्ध है। प्रयोक पालिसी वर्ष में 2 परिवर्तन निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं। अतिरिक्त कोष-निवेश परिवर्तन - ₹ 0.00/- - प्रति परिवर्तन शुल्क पर उपलब्ध है। परिवर्तन शुल्क यूनिटों के निरर्तीकरण द्वारा वसूल किया जायेगा।

बीमाधारक के अवयस्क होने पर लाभ देय

- यदि बीमाधारक के यत्यरक होने से पूर्व दावा होता है तो भुगतान पालिसी के प्रस्तावक को देय है एवं उसकी अनुपस्थिति में जो प्रस्तावक के उत्तराधिकारी है, उन्हें प्राप्त होगा।
- बीमाधारक के अवयस्क अथवा 18 वर्ष पूर्ण होने पर पालिसी खत्यार उसमें निहित होगी।

अतिरिक्त लाभ- राइडर

दुर्घटना लाभ और सम्पूर्ण स्थायी अपंता लाभ राइडर (यू.आई.एन. 127L0004वी01)

जो दीपित व्यक्ति वयस्क है, 18 वर्ष (पूर्ण वर्ष बुका है) एवं 55 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) के मध्य आयु का है, उसे पालिसी प्रारम्भ लिंग से राइडर उपलब्ध है। दुर्घटना द्वारा राइडर के अन्तर्भूत न्यूतम बीमा धन ₹. 50,000/- - उपलब्ध है और अधिकतम बीमा धन या तो मूल बीमा धन अथवा ₹. 20,00,000/- (जिसमें कपनी से क्रय की गयी रसी पिछली पालिसीया समिलित रहेगी), जो दोनों में धनराशि कम होगी, उपलब्ध होगा। यह लाभ बीमित व्यक्ति के 65 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) अपु प्राप्त करने अथवा मूल पालिसी की पूर्णपूर्ण जीवन देय है।

राइडर एकल प्रीमियम भुगतान में उपलब्ध नहीं है।

पुरुंचलन नियम - जो मूल पालिसी में लाभ है वही इस राइडर में लाभ होगे।

राइडर के लिए ₹. 0.85/- - प्रति हजार बीमाधन प्रीमियम देय है।

यदि बीमाधारक की आयु पालिसी वर्षांसे तो पूर्व, जिसमें शीमित व्यक्ति 65 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) पूर्ण कर रहा है एवं पालिसी चालू होता है तो दूर्घटना वार्षिक व्यक्ति के बीच द्वारा उपलब्ध होता है, जो प्रत्येक वर्ष एवं शुल्क रुप से वाया, तेज धारावर्ष एवं दृष्टिगोली साधन (शर्करा) से लगान के कारण, मृत्यु दुर्घटना विहार से 180 दिनों है एवं दुर्घटना में मृत्यु के कारण स्वतंत्र एवं प्रत्येक रुप से शारीरिक व्यक्ति है तो दूर्घटना राइडर के तुरंत एक अतिरिक्त धनराशि, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख है, को भुगतान देय है। यदि बीमार्थी स्थायी एवं पूर्ण रुप से अपंग हो जाता है तो राइडर लाभ विहार से 5 वर्ष के अंदर देय है। यदि बीमार्थी दावा निरसाण एवं भुगतान देये गए पर राइडर प्रीमियम का भुगतान बंद हो जाता है एवं मूल पालिसी चालू रखने के लिये प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार करना होगा।

सम्पूर्ण एवं स्थायी अपंता, जैसा ऊपर वर्णित है, दुर्घटना से घटित हो एवं इस प्रत्यक्ष की हो कि बीमित व्यक्ति राइडर का लाभ देय हो जाय तथा दुर्घटना द्वारा दोनों को अंजित न कर सके।

अ) आपने दोनों हाथ कलाई और जाय तथा दुर्घटना द्वारा दोनों को अंजित न कर सके।

ब) दोनों हाथ एवं अथवा इससे ऊपर प्रयोग करने में असमर्थता अथवा

स) एक हाथ कलाई या इसके ऊपर एक हाथ से ऊपर प्रयोग करने में असमर्थता अथवा

द) दोनों अंगों की सम्पूर्ण, स्थायी एवं असाध्या दृष्टि की क्षति।

अपवाद : कपनी उपरोक्त (अ) (ब) (स) (द) में संदर्भित अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार नहीं होती, यदि बीमित व्यक्ति की अपंता अथवा मृत्यु-

1) जान-बूझकर अपने को चोट पहुँचाने, आत्म-हत्या का प्रयास करने, पागलपन अथवा अनैतिक आचरण के कारण, मादक द्रव्य पदार्थ, औषधि या नशीली वस्तु के सेवन करने से हो, अथवा

2) ऐसी दुर्घटना के फलस्वरूप हो, जिसके बीमित व्यक्ति उड़ान अथवा वाले किसी भी पद पर कार्यरत हो, न कि, जब कि वह किसी दोषादार देकर ऐसे यात्रियों को ले जाने के लिये, सम्बन्धित अधिनियमों द्वारा अधिकृत स्थायी एवं अंडड़ा के बीच उड़ान भरने वाले किसी हवाई जहाज में यात्रा करता हो तथा हवाई जहाज के उड़ाने व उससे उत्तरते समय बीमित व्यक्ति की कोई दृश्यता (कार्यभार) न हो, अथवा,

3) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी कानून भंग करने के फलस्वरूप हो, अथवा,

4) जोखिम खेल-क्रीड़ा, आखेट, जुड़ो-कराटे, पर्वतारोहण, जैंट-स्काईंग, पॉट-होलिंग, घुड़-दौड़, गोताखोरी,

नाव-दौड़, लंबी छलांग, बाकिसंग, केविंग अथवा किसी भी प्रकार की भाग-दौड़ के फलस्वरूप चोट लगने के कारण हो, अथवा

5) दंगों, असैनिक उपद्रवों, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध (वाहे युद्ध घोषित हो अथवा नहीं), आक्रमण अथवा

6) अन्य अर्तसंदर्भित शर्त (नियम)

आयकर लाभ

- पालिसी में भुगतान की गई प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के अन्तर्गत आयकर मुक्त है।
- पालिसी में पूर्णवित अथवा मृत्यु दावा प्रतिक्रिया बीमाधारक अथवा उसके आधिकारी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(डी) के अन्तर्गत आयकर मुक्त है। यदि किसी भी पालिसी वर्ष में प्रीमियम एवं टॉप-अप-एप की धनराशि 20% से अधिक होती है तो ऐसी विधि में पालिसी में धारा-10(डी) का प्रावधान लागू नहीं होगा।
- भविष्य में यह लाभ आयकर अधिनियम, 1961 के नियम, जो लागू होंगे, तदानुसार प्रभावी होगी।

लाभ-उदाहरण-

35 वर्ष की आयु पर नियमित प्रीमियम पालिसी अवधि 15 वर्ष, ₹ 16,000/- - प्रीमियम, ₹ 1,60,000/- बीमाधन पर निम्नलिखित लाभ दर्शाया गया है-

पॉलिसी वर्ष	वार्षिक प्रीमियम	आयकर लाभ	संशोधन दर	सकल व्याज दर 6 प्रतिशत वार्षिक आधार पर				सकल व्याज दर 10 प्रतिशत वार्षिक आधार पर</
-------------	------------------	----------	-----------	--	--	--	--	---